महत्वपूर्ण

संख्या- 1397-प्रो0/51-2023-20(35)/97

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

प्रोटोकाल अनुभाग (मुख्य मंत्री कार्यालय) लखनऊ : दिनांक : 28 मार्च, 2023

विषय : उत्तर प्रदेश में पधारने वाले मा0 राज्य अतिथियों तथा उनके वैयक्तिक कर्मचारियों आदि के भोजनादि हेतु निर्धारित दरों में संशोधन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में पधारने वाले मा0 राज्य अतिथियों, उनके वैयक्तिक कर्मचारियों एवं राज्य अतिथियों द्वारा आमंत्रित अतिथियों के लिए प्रतिदिन भोजन/खाद्य पदार्थों आदि पर होने वाले व्यय की दरें शासनादेश संख्या- 2885-प्रो0/51-2009-20(35)/07, दिनांक 18-01-2010 द्वारा पुनरीक्षित की गयी थीं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य अतिथि नियमावली, 2011 में वर्णित प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश में पधारने वाले मा0 राज्य अतिथियों, उनके वैयक्तिक कर्मचारियों एवं राज्य अतिथियों द्वारा आमंत्रित अतिथियों के लिए प्रतिदिन भोजन/खाद्य पदार्थों आदि पर होने वाले व्यय की निम्नलिखित सारिणी के कालम-3 में उल्लिखित वर्तमान दरों को सारिणी के कालम-4 में उल्लिखित संशोधित दरों के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से पुनरीक्षित किए जाने की महा0 राज्यपाल महोदया, उ0प्र0 द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रम सं0	विवरण	वर्तमान दरें (रूपए में)	संशोधित दरें (रूपए में)
1	2	3	4
1	प्रतिदिन भोजन/खाद्य पदार्थों संबंधी प्रति राज्य अतिथि व्यय सीमा	300=00	450=00
2	राज्य अतिथियों के साथ आने वाले निजी स्टाफ की व्यय सीमा	120=00	180=00
3	राज्य अतिथियों के निमंत्रण पर उनसे मिलने आने वाले अतिथियों के लिए		
	क- कलेवा/अपरान्ह की चाय(एक समय)	24=00	36=00
	ख- भोजन मध्यान्ह या रात्रि (एक समय)	48=00	72=00

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-5- 06/दस-2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1397(1)-प्रो0/51-2023-20(35)/1997, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा), प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री/प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल/विशेष सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल
4- सामान्य प्रशासन अनुभाग।
5- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा),
उप सचिव।